

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/ 8719 दिनांक 14/2/2013

आदेश संख्या 286 /2012-13

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के द्वारा अपील संख्या 1765/2012 में दिये गये स्थगन आदेश के क्रम में विभागीय आदेश संख्या 233/12-13 दिनांक 07.12.2012 के द्वारा श्री पवन कुमार शर्मा, क0लेखाकार (हाल खण्डीय लेखाकार) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिन्ध परियोजना खण्ड, झालावाड से कोषालय, चित्तौडगढ में एवं श्री संजय कुमार व्यास, क0लेखाकार (हाल खण्डीय लेखाकार) कार्यालय अधि0अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिन्ध परियोजना खण्ड, झालावाड में किया गया स्थानान्तरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

  
निदेशक

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} /अलेसे-III/8720-729 दिनांक:- 14/2/2013  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपशासन सचिव, वित्त {राजस्व} विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 संयुक्त निदेशक(विधि) कार्यालय हाजा ।
- 3 अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिन्ध परियोजना खण्ड, झालावाड ।
- 4 कोषाधिकारी, चित्तौडगढ ।
- 5 अधि0अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड ।
- 6 श्री पवन कुमार शर्मा, क0लेखाकार (हाल खण्डीय लेखाकार) कार्यालय मार्फत अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिन्ध परियोजना खण्ड, झालावाड ।
- 7 श्री संजय व्यास, कनिष्ठ लेखाकार (हाल खण्डीय लेखाकार) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कालीसिन्ध परियोजना खण्ड, झालावाड ।
- 8 कम्प्यूटर शाखा { वेबसाईट हेतु } ।
- 9 निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका ।

  
निदेशक